

“थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत चोरी से संबंधित अभियोग में वांछित 01 शातिर चोर (जेबकतरा) को चोरी की गई ₹7,500/- की धनराशि एवं एक मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया।”

“श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा चिन्हित अपराधियों/वारण्टी अभियुक्तों एवं मादक पदार्थ/वांछित/, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों की बिक्री व निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद महोदय के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।”

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.12.2025 को वादी द्वारा थाना जलालाबाद पर दी गई लिखित तहरीर के आधार पर ई -रिक्शा चालक पंकज एवं उसके साथी धर्मेन्द्र पुत्र नामालूम, निवासीगण ग्राम मुर्जिया, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की जेब में रखे ₹1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपये) चोरी किए जाने के संबंध में थाना जलालाबाद पर मु0अ0सं0 577/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगणों के आदेश-निर्देशों के अनुपालन में थाना स्थानीय पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण— 1. सनी उर्फ हउआ पुत्र राकेश, निवासी बालाजी नगर कॉलोनी, मो0 अजीजगंज, जिला अस्पताल के पीछे, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर 2. सोनू पुत्र मुन्ना लाल, निवासी मोहल्ला अजीजगंज/गिहार बस्ती, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर, 3. रवि पुत्र रामप्रकाश, निवासी रामलीला गड्ढा, थाना कादरी गेट, जनपद फर्रुखाबाद, 4. आकाश पुत्र अशर्फीलाल, निवासी ग्राम लकूला, थाना कादरी गेट, जनपद फर्रुखाबाद के नाम प्रकाश में आए। पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त सोनू पुत्र मुन्ना लाल को उसके घर से, मोहल्ला गिहार बस्ती अजीजगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर से समय करीब 20:00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई धनराशि में से ₹7,500/- तथा एक अदद मोबाइल फोन वीवो (Vivo V60), रंग क्रीम,IMEI-1: 865417089321616, IMEI-2: 865417089321608 बरामद किया गया। उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त सनी उर्फ हउआ पुत्र राकेश को दिनांक 02.12.2025 को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है, जबकि अभियुक्त रवि पुत्र रामप्रकाश जो थाना कादरी गेट जिला फर्रुखाबाद में अवैध तमचे के साथ पकड़ा गया था जिसके विरुद्ध थाना कादरी गेट जिला फर्रुखाबाद मु0अ0सं0 358/2025 धारा 3/25 ACT पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सूचना पर अभियुक्त रवि उपरोक्त का बी वारण्ट बनवाकर थाना हाजा के मु0अ0सं0 577/2025 धारा 303(2) BNS में तलब कराया गया जो वर्तमान में जिला जेल शाहजहाँपुर में निरुद्ध है। अभियुक्त आकाश पुत्र अशर्फीलाल की गिरफ्तारी अभी शेष है। उपरोक्त घटना के संबंध में थाना जलालाबाद पर मु0अ0सं0 577/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है जिसमें बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सोनू पुत्र मुन्ना लाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मो0 गिहार बस्ती अजीज गंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार किए जाने का दिनांक,समय व स्थान

दिनांक 03.01.2026 को समय करीब 20.00 बजे, मो0 गिहार बस्ती अजीज गंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 577/2025 धारा 303 (2)/317(2) BNS थाना जलालाबाद शाहजहांपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 381/2019 धारा 363/366 भादवि थाना कोतवाली जिला शाहजहांपुर
2. मु0अ0सं0 73/2021 धारा 60 Ex Act थाना कोतवाली , शाहजहांपुर
3. मु0अ0सं0 401/2021 धारा 60 Ex Act थाना कोतवाली , शाहजहांपुर
4. मु0अ0सं0 679/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली , शाहजहांपुर
5. मु0अ0सं0 692/2021 धारा 307/323/420/467/471 भादवि थाना कोतवाली , शाहजहांपुर
6. मु0अ0सं0 694/2021 धारा 3/25/27 A ACT थाना कोतवाली जिला शाहजहांपुर
7. मु0अ0सं0 96/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जिला शाहजहांपुर
8. मु0अ0सं0 380/2022 धारा 60 Ex Act थाना कोतवाली , शाहजहांपुर
9. मु0अ0सं0 578/2022 धारा 60 Ex Act थाना कोतवाली , शाहजहांपुर
10. मु0अ0सं0 126/2023 धारा 60 Ex Act थाना कोतवाली , शाहजहांपुर
11. मु0अ0सं0 386/2024 धारा 60 Ex Act थाना कोतवाली , शाहजहांपुर
12. मु0अ0सं0 768/2021 धारा 379/411 भादवि थाना रोजा , शाहजहांपुर
13. मु0अ0सं0 531/2025 धारा 303 (2)/317 (2) BNS थाना निगोही शाहजहांपुर
14. मु0अ0सं0 858/2025 धारा 303 (2)/317 (2) BNS थाना पुवायांशाहजहांपुर
15. मु0अ0सं0 577/2025 धारा 303 (2)/317 (2) BNS थाना जलालाबाद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी किये हुए 7500/रुपये बरामद
2. एक मोबाइल फोन मोबाइल कम्पनी वीवो V60 रंग क्रीम IMEI-1.865417089321616, IMEI-2.865417089321608

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त सोनू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं बेरोजगार हूँ। मैं अपने साथियों—सनी उर्फ हउआ पुत्र राकेश, निवासी बालाजी नगर कॉलोनी, मोहल्ला अजीजगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर, रवि पुत्र रामप्रकाश, निवासी रामलीला गड्ढा, थाना कादरी गेट, जनपद फर्रुखाबाद, आकाश पुत्र अशफ़ीलाल, निवासी ग्राम लकूला, थाना कादरी गेट, जनपद फर्रुखाबाद के साथ मिलकर जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न स्थानों पर घूम-घूमकर चोरी एवं जेबकाटी करने का कार्य करता हूँ। इस कार्य से प्राप्त धनराशि को हम सभी आपस में बराबर बाँट लेते थे तथा उसी धनराशि से अपने-अपने घर का खर्च चलाते थे। हम लोग पहले घूम-फिरकर यह जानकारी कर लेते थे कि किस व्यक्ति के पास रुपये हैं, तत्पश्चात उसी व्यक्ति का पीछा कर घटना को अंजाम देते थे।

थाना जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत कलक्टरगंज के पास गंगा एक्सप्रेसवे प्लांट के सामने सड़क पर घटित घटना के संबंध में बताया कि उक्त घटना दिनांक **26.11.2025** को दोपहर लगभग **02:00 बजे** मेरे द्वारा अपने साथियों सनी उर्फ हउआ, रवि एवं आकाश के साथ मिलकर की गई थी। घटना के समय सनी उर्फ हउआ ई-रिक्शा में बैठा था, जबकि मैं और आकाश मोटरसाइकिल पर ई-रिक्शा के पीछे-पीछे चल रहे थे। मोटरसाइकिल मैं स्वयं चला रहा था, जो आकाश या रवि में से किसी एक की थी। हमने रवि को पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे उतार दिया था और उसे यह निर्देश दिया था कि यदि पब्लिक हमें पकड़कर मारपीट करने लगे तो वह पब्लिक का आदमी बनकर हमें छुड़ाने आ जाए। जब सनी उर्फ हउआ ने ई-रिक्शा में बैठे व्यक्ति की जेब काटकर रुपये निकाले और उतरकर भागा, तब मैंने मोटरसाइकिल तेज चलाकर सनी उर्फ हउआ को मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। हमारे पीछे-पीछे ई-रिक्शा चालक तथा वह व्यक्ति शोर मचाते हुए दौड़े। कुछ दूरी पर सड़क से हटकर हमने रुपये गिने, जिसमें कुछ नोट ब्लेड से अधिक कट जाने के कारण खराब हो गए थे। उन खराब नोटों को हमने नहीं गिना और आकाश को दे दिया कि वह उन्हें नदी में फेंक दे। शेष रुपयों में से हम चारों के हिस्से में **₹20,000- ₹20,000** रुपये आए। मेरे हिस्से में आए **₹20,000** में से पुलिस के पकड़े जाने के डर से मैंने **₹7,500** रुपये बारहपत्थर चौराहे से याकूबपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर लगभग **500 मीटर** की दूरी पर, तालाब के सामने

सड़क की दूसरी ओर बनी एक बिल्डिंग की पिछली दीवार की दराज में प्लास्टिक की पन्नी में रखकर ईंट से दबाकर छिपा दिए थे। शेष ₹12,500 रुपये मैं अपने साथ घर ले गया था। उक्त ₹12,500 में से दिनांक 19.12.2025 को मैंने ₹8,000 रुपये अली बाबा मोबाइल शॉप, कटिया टोला, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर पर जमा कर अपने भाई रिकू के नाम किशतों पर Vivo V60 मोबाइलफोन खरीदा था, क्योंकि मेरा सिविल खराब होने के कारण मैंने मोबाइल अपने भाई के नाम पर लिया था। शेष रुपये घरेलू खर्च में खर्च हो गए। जो ₹7,500 रुपये मैंने बिल्डिंग की पिछली दीवार की दराज में छिपाकर रखे हैं, उनके बारे में मुझे ही जानकारी है। यदि आप मुझे साथ लेकर चलें तो मैं चलकर उक्त धनराशि बरामद करा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने बताया कि लगभग डेढ़ माह पूर्व, थाना पुवायां क्षेत्र में मैंने अपने साथी सनी उर्फ हउआ एवं सर्वेश के साथ मिलकर एक विककी चालक से हाथ देकर लिफ्ट ली थी। मैं विककी पर पीछे बैठा था और उस व्यक्ति की जेब काट ली थी, जिसमें कुल ₹15,000 रुपये निकले थे, जिन्हें हम तीनों ने ₹5,000- ₹5,000 रुपये आपस में बाँट लिए थे। तथा लगभग 35-40 दिन पूर्व, थाना निगोही क्षेत्र में ग्राम जहानपुर के पास मैंने अपने साथी सनी उर्फ हउआ एवं सर्वेश के साथ मिलकर ई-रिक्शा में बैठे व्यक्ति की जेब काटी थी, जिसमें हम तीनों के हिस्से में ₹3,000- ₹3,000 रुपये आए थे। मेरा साथी सनी उर्फ हउआ उक्त प्रकरण में पकड़ा गया था। मैं पकड़े जाने के डर से तभी से घर से फरार चल रहा था। आज जब मैं अपने घर मिलने आया, तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
2. उ०नि० श्रीपवन कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
3. उ०नि० श्रीलोकेश कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
4. म०उ०नि० काजल थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
5. का० 2180 प्रवीण कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
6. का० 2792 अतुल शाक्य थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर